

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 173/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड, पता-तृतीय तल, जौ.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. सुनील सोनी

पता :- (1) प्लॉट नं. 801, बी-ब्लॉक, उपासना रोजवुड अपार्टमेंट, ढाका नगर के पीछे, सिरसी रोड
जयपुर,

(2) प्लेट नं. 602, छठवीं मंजिल, ब्लॉक-एफ, विनायक एनक्लेव, प्लॉट नं. पीपी-2, वैशाली
नगर, जयपुर,

(3) सुनिल ट्रेडर्स प्रथम तल, तमन्ना टॉवर, आम्रपाली मार्ग, नन्द विहार, वैशाली हास्पिटल,
वैशाली नगर, जयपुर।

2. श्रीमती रैनू सोनी

पता :- (1) प्लॉट नं. 801, बी-ब्लॉक, उपासना रोजवुड अपार्टमेंट, ढाका नगर के पीछे, सिरसी रोड
जयपुर,

(2) प्लेट नं. 602, छठवीं मंजिल, ब्लॉक-एफ, विनायक एनक्लेव, प्लॉट नं. पीपी-2, वैशाली
नगर, जयपुर,



अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 12.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.03.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सुनील सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नं. 602, छठवीं मंजिल, ब्लॉक-एफ, विनायक एनक्लेव, प्लॉट नं. पीपी-2, वैशाली नगर, जयपुर क्षेत्रफल बिल्टअप एरिया 1025 वर्गफिट व खुली छत एरिया 444.17 वर्गफिट को बन्धक रख कर राशि 37,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14

मजिस्ट्रेट
(र) जयपुर

के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को राशि 37,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि रुपये 37,49,368/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.08.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी सुनील सोनी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति फ्लेट नं. 602, छठवीं मंजिल, ब्लॉक-एफ, विनायक एनक्लेव, प्लॉट नं. पीपी-2, वैशाली नगर, जयपुर क्षेत्रफल विल्टअप एरिया 1025 वर्गफिट व खुली छत एरिया 444.17 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 12.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर